

समाज कल्याण अनुभाग  
संख्या : 2756/स0क0/2003-411(समाज कल्याण)/2002  
देहरादून : दिनांक : 07 अक्टूबर, 2003

### अधिसूचना

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 9 सन 2002) की धारा-2 की उपधारा (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल तदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल के मूल निवासी जैन समुदाय को उत्तरांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करते हैं।

सुदर्शन अग्रवाल  
राज्यपाल

आज्ञा से,  
(म. अ. गु.)  
(एस. के. मुद्दू)  
सचिव।

संख्या : 2756(1)/स.क./2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)  
अपर सचिव।

संख्या : 2756(2)/स.क./2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(अरुण कुमार ढौंडियाल)  
अपर सचिव।